(169)

संख्याः– 5108 /III(2)/11–23(प्रा0आ0)/2009

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 26 सितम्बर, 2011

विषयः– **जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर में सौडू जाखी गवाणा एवं धूरेट से ग्वाड टोला मोटर मार्ग का नवनिर्माण की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में शासनादेश संः 2503/111(2)/06–37(प्रा0आ0/2006 दिनांक 20–09–2006 के संलग्नक में क्रमांक–21 पर स्वीकृत कार्य **"दुगड्डासौड़–पिपलीधार मोटर मार्ग पर सौडू जाखी ग्वाणा से ग्वाड टोला मोटर मार्ग, लम्बाई 8.00 किमी0 तथा लागत ₹ 129.60 लाख"** को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर वर्तमान में मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर में सौडू जाखी गवाणा एवं धूरेट से ग्वाड टोला मोटर मार्ग के नवनिर्माण, लम्बाई 11.00 (2+9) किमी0 तथा लागत ₹ 138.60 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 138.60 लाख (₹ एक करोड़ अड़तीस लाख साठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) के व्यय की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i)– शासनादेश संः 2503/111(2)/06–37(प्रा0आ0/2006 दिनांक 20–09–2006 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(ii)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश संः–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(iii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ivi)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(v)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(vi)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vii)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22– लेखाशीर्षक –5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य की मद से तथा कन्सलटैन्सी आदि का व्यय, अनुदान सं0–22– लेखाशीर्षक 3054– सड़क तथा सेतु–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–03–निर्माण–04–परियोजना संरचना/परीक्षण/गुणवत्ता/कन्सल्टेंन्सी आदि 16–व्यवसायिक सेवा के लिये भुगतान, की मद से विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन में रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(x)– वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2012 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3)– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 315/XXVII/(2)/2011 दि0: 23 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः–5108 (1)/III(2)/11–23(प्रा0आ0)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल/देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम् वृत्त, लो0नि0वि0 टिहरी।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव